

**कार्यालय प्रस्तुतकर्ता / सह भू-अर्जन अधिकारी, बंधा कोल ब्लॉक जिला
सिंगरौली (म0प्र0)**

क्र0/8935 / बंधा को0 ब्लॉक / भू-अर्जन / 2025

सिंगरौली दिनांक 20 AUG 2025

सूचना
(सूचना अंतर्गत धारा 37(2) भू-अर्जन अधिनियम 2013)

खाता क्र0- 1524

प्रति,

दीनदयाल मिश्रा पिता नारायण प्रसाद मिश्रा

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोयला उत्खनन बावत् मेसर्स ई0एम0आई0एल0 माइंस एण्ड मिनिरल रिसोर्सेस लिमिटेड को आवंटित बंधा कोल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम- बंधा की अर्जित निजी भूमि एवं उस पर स्थित मकान/ कूप/ वृक्ष तथा अन्य परिसंपत्तियों की सुनवाई एवं जाँच उपरान्त भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत दिनांक 07-04-2025 को आवार्ड पारित एवं घोषित किया जा चुका है। उपरोक्त खाते से संबंधित प्रतिकर का विवरण निम्नानुसार है।

क्र0	विवरण	रकबा हे0/नग	राशि
1	भूमि	0.0200	21600
2	मेढ़ / गटौर / बांध		0
3	मकान	0	0
4	कूप	0	0
5	हैण्डपम्प / बोरवेल	0	0
6	वृक्ष	0	0
	योग-		21600
7	सोलेशियम 100 प्रतिशत		21600
8	ब्याँज 12 प्रतिशत (धारा 4 के प्रकाशन दिनांक से आवार्ड दिनांक तक, कुल 1388 दिवस का)		9857
	कुल योग-		53057 /-
9	*मकान एवं संरचना के अतिरिक्त क्षेत्रफल का विचाराधीन मुआवजा राशि (रु0)		0

हितग्राही का नाम	कुल देय मुआवजा राशि (रु0)
दीनदयाल मिश्रा पिता नारायण प्रसाद मिश्रा पता हररचंदेल देवसर भूमिस्वामी	53057 /-

उक्त खसरा क्रमांक में भूमि/परिसंपत्ति स्थित है जिसका प्रतिकर मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त राशि आपके खाते में भेजने हेतु समर्पण -पत्र (भौतिक कब्जा सौपने का प्रमाण-पत्र), आधार कार्ड, बैंक पासबुक की स्वयं प्रमाणित छायाप्रतियां, मोबाईल न0 एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज के साथ एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वयं या प्रतिनिधि द्वारा जमा कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्तानुसार दर्शायी गयी राशि **53057 /-** रु0 आपके बैंक खाता में जमा कराने से पूर्व आपको भूमि पर स्थित मकान एवं अन्य समस्त परिसंपत्तियों का भौतिक कब्जा आवेदक कंपनी को सौपना होगा।

* अतिरिक्त रकबे में स्थित परिसंपत्ति का प्रतिकर भुगतान से पूर्व संबंधित भूमि स्वामी की सहमति एवं जाँच के उपरान्त शेष प्रतिकर राशि का निराकरण किया जायेगा।

कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित

प्रस्तुतकर्ता / सह भू-अर्जन अधिकारी
बंधा कोल ब्लॉक
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

प्रतिलिपि:-

प्रधानिकृत अधिकारी, ई0 एम0 आई0 एल0 माइंस एण्ड मिनिरल रिसोर्सेस लिमिटेड मोके का कब्जा प्राप्त कर समर्पण पत्र निर्गत करें।

प्रस्तुतकर्ता / सह भू-अर्जन अधिकारी
बंधा कोल ब्लॉक
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

क्रमांक : 3077/ बंधा / EMMRL

खाता क्र०: 1524

दिनांक : 25 SEP 2025

प्रति,

नाम - दीनदयाल मिश्रा पिता नारायण प्रसाद मिश्रा
भूमि स्थित ग्राम - बंधा
पो० - बंधा तहसील - बरगवां
जिला- सिंगरौली (ग.प्र.)

विषय :- मूल निवासियों की भूमियों के प्रतिकर की अंतर राशि के सम्बंध में।

महोदय,

एतद् द्वारा आपको अवगत किया जाता है कि पूर्व में हुई चर्चा के अनुसार गांव के मूल निवासियों की अर्जित भूमियां जो अधोसंरचना (निर्माण) से रिक्त है उनके प्रतिकर की राशि रु 20,00,000/- (बीस लाख रुपये) प्रति एकड़ की दर से दिया जायेगा।

आप भूमिस्वामी को भूमि के प्रतिकर की राशि सोलेशियम ब्याज सहित जो एवार्ड में उल्लेखित है उसके भुगतान के पश्चात रु 20,00,000/- (बीस लाख रुपये) प्रति एकड़ की दर से गणना करने के उपरान्त शेष अन्तर राशि का भुगतान भूमि का भौतिक आधिपत्य प्राप्त करने के दौरान प्रदान की जायेगी।

भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के दौरान दिये जाने वाले अन्तर की राशि की गणना का विवरण निम्नानुसार है :-

अर्जित भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)	संरचना निर्माण क्षेत्र (एकड़)	अन्तर राशि के लिए भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)	MOM के अनुसार ईएमआईएल द्वारा स्वीकृत दर (रु/एकड़)	MOM के अनुसार ईएमआईएल द्वारा स्वीकृत दर के अनुसार कुल राशि (रु)	गणना पत्रक में दी गई राशि (रु)	शुद्ध देय अन्तर राशि (रु)
0.0494	0.0465	0.0029	2000000	55760	53057	2704

अतः उपरोक्त विवरण आपकी जानकारी हेतु सम्प्रेषित है।




भवदीय
कंपनी प्रतिनिधि
बंधा कोल ब्लॉक

कार्यालय प्रस्तुतकर्ता / सह भू-अर्जन अधिकारी, बंधा कोल ब्लॉक जिला
सिंगरौली (M0प्र0)

क्र. 8951 / बंधा कोल ब्लॉक / भू-अर्जन / 2025

सिंगरौली दिनांक 20 AUG 2025

सूचना
(सूचना अंतर्गत धारा 37(2) भू-अर्जन अधिनियम 2013)

खाता क्र- 1544

दीपक कुमार शुक्ला पिता गोपाल प्रसाद शुक्ला
प्रति एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोयला उत्खनन बावत मेसर्स
ई0एम0आई0एल0 माइंस एण्ड मिनिरल रिसोर्सेस लिमिटेड को आवंटित बंधा कोल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम- बंधा की अर्जित
निजी भूमि एवं उस पर स्थित मकान / कूप / वृक्ष तथा अन्य परिसंपत्तियों की सुनवाई एवं जॉच उपरान्त भूमि अर्जन, पुनर्वासन
और पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत दिनांक 07-04-2025 को आवार्ड
पारित एवं घोषित किया जा चुका है। उपरोक्त खाते से संबंधित प्रतिकर का विवरण निम्नानुसार है।

क्र0	विवरण	रकम रु0/नग	राशि
		0.0080	8640
1	भूमि		0
2	भेड़ / गटोर / बांध	0	0
3	मकान	0	0
4	कूप	0	0
5	हेण्डपम्प / बोरवेल	0	0
6	वृक्ष		0
	योग-		8640
7	सोलेशियम 100 प्रतिशत		8640
8	बॉज 12 प्रतिशत (धारा 4 के प्रकाशन दिनांक से आवार्ड दिनांक तक, कुल 1388 दिवस का)		3943
	कुल योग-		21223 /-
9	*मकान एवं संरचना के अतिरिक्त क्षेत्रफल का विचाराधीन मुआवजा राशि (रु0)		0

हितग्राही का नाम	कुल देय मुआवजा राशि (रु0)
दीपक कुमार शुक्ला पिता गोपाल प्रसाद शुक्ला पता विलौजी, बैदन, सिंगरौली, (M0प्र0) भूमिस्वामी	21223 /-

उक्त खसरा क्रमांक में भूमि/परिसंपत्ति स्थित है जिसका प्रतिकर मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त राशि आपके खाते में भेजने हेतु समर्पण -पत्र (भौतिक कब्जा सौपने का प्रमाण-पत्र), आधार कार्ड, बैंक पासबुक की स्वयं प्रमाणित छायाप्रतियां, मोबाईल न0 एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज के साथ एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वयं या प्रतिनिधि द्वारा जमा कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्तानुसार दर्शायी गयी राशि 21223 /- रु0 आपके बैंक खाता में जमा कराने से पूर्व आपको भूमि पर स्थित मकान एवं अन्य समस्त परिसंपत्तियों का भौतिक कब्जा आवेदक कंपनी को सौपना होगा।

* अतिरिक्त रकवे में स्थित परिसंपत्ति का प्रतिकर भुगतान से पूर्व संबंधित भूमि स्वामी की सहमति एवं जॉच के उपरान्त शेष प्रतिकर राशि का निराकरण किया जायेगा।

कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित

प्रस्तुतकर्ता / सह भू-अर्जन अधिकारी
बंधा कोल ब्लॉक
जिला सिंगरौली (M0प्र0)

प्रतिलिपि:-
प्राधिकृत अधिकारी, ई0 एम0 आई0 एल0 माइंस एण्ड मिनिरल रिसोर्सेस लिमिटेड मौके का कब्जा प्राप्त कर समर्पण पत्र निर्गत करें।
प्रस्तुतकर्ता / सह भू-अर्जन अधिकारी
बंधा कोल ब्लॉक
जिला सिंगरौली (M0प्र0)

कमांक : 3083 / बंधा / EMMRL
खाली क्र०: 1544

दिनांक : 25 SEP 2025

प्रति, नाम - दीपक कुमार शुक्ला पिता गोपाल प्रसाद शुक्ला
भूमि स्थित ग्राम - बंधा तहसील - बरगवां
पो० - बंधा
जिला- सिंगरौली (म.प्र.)

विषय :- मूल निवासियों की भूमियों के प्रतिकर की अंतर राशि के सम्वंध में।

महोदय,

एतद् द्वारा आपको अवगत किया जाता है कि पूर्व में हुई चर्चा के अनुसार गांव के मूल निवासियों की अर्जित भूमियां जो अधोसंरचना (निर्माण) से रिक्त है उनके प्रतिकर की राशि रु 20,00,000/- (बीस लाख रूपये) प्रति एकड़ की दर से दिया जायेगा।

आप भूमिस्वामी को भूमि के प्रतिकर की राशि सोलेशियम ब्याज सहित जो एवार्ड में उल्लेखित है उसके भुगतान के पश्चात रु 20,00,000/- (बीस लाख रूपये) प्रति एकड़ की दर से गणना करने के उपरान्त शेष अन्तर राशि का भुगतान भूमि का भौतिक आधिपत्य प्राप्त करने के दौरान प्रदान की जायेगी।

भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के दौरान दिये जाने वाले अन्तर की राशि की गणना का विवरण निम्नानुसार है :-

अर्जित भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)	संरचना निर्माण क्षेत्र (एकड़)	अन्तर राशि के लिए भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)	MOM के अनुसार ईएमआईएल द्वारा स्वीकृत दर (रु/एकड़)	MOM के अनुसार ईएमआईएल द्वारा स्वीकृत दर के अनुसार कुल राशि (रु)	गणना पत्रक में दी गई राशि (रु)	शुद्ध देय अन्तर राशि (रु)
0.0198	0.0000	0.0198	2000000	39536	21223	18313

अतः उपरोक्त विवरण आपकी जानकारी हेतु सम्प्रेषित है।




भवदीय
कंपनी प्रतिनिधि
बंधा कोल ब्लॉक